

प्रस्ताव की राज्य क्र०सं०—.....

भाग - II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र०सं०	प्रस्ताव	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 के०वी० जिगना-दादर कला ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु कुल 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के निर्माण से लालगंज रेंज के ग्राम-विजयपुर क०न०-3, गाटा सं०-3362 की 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर खड़े 02 वृक्षों के पातन की अनुमति। इस प्रकार (2425 X 27) वर्ग मीटर = 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	6.5475 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.01 तक (इको क्लास-(iii) खुला वन)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में	संलग्न है।

	एक आर० एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	
(viii)	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू-भाग भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वनभूमि से लगा हुआ।
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता, परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम हैं।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में प्रस्तावक विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक	छतिपूरक वनीकरण लालगंज रेंज के अर्न्तगत विजयपुर क०न०-3 में 14.00 हे० अवनत वन क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित हैं।

	भू-खण्ड का आकार ।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप ।	संलग्न है ।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि ।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां- इमली, नीम, आम, जामुन, केशियास्यामिया ।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 1735734.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है ।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है ।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	45 मामले, 348.1684 हे0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	366.300 हे0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।	176.254 हे0

	(ख) वनेत्तर भूमि पर ।	190.046 हे०
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	366.300 हे०
	(क) वन भूमि पर	176.254 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	190.046 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण से वन एवं वन्य जीवों के सम्बर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 03.06.2017

स्थान : Mirzapur

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर :

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर उप वन प्रभाग
मीरजापुर